न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 52/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/102

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. जगदीश पुत्र वरदाराम जाति पटेल निवासी माण्डावास तहसील रोहट जिला पाली।		1. मांगीलाल पुत्र भोमारामजी जाति पटेल निवासी माण्डावास तहसील रोहट जिला पाली।
2. विरदाराम पुत्र गुमनाराम जाति पटेल निवासी माण्डावास तहसील रोहट जिला पाली।		2. ग्राम पंचायत माण्डावास तहसील रोहट जिला पाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत माण्डावास।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/04/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत माण्डावास द्वारा मिसल संख्या 72/2004–2005, प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 15.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5124 दिनांक 15.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 18 दिनांक 26.01.1966 को जारी किया गया है, ग्राम पंचायत ने पुनः उसी भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। उक्त दोनों पट्टों के पड़ौस समान है। ग्राम पंचायत ने मेरे पट्टे के पश्चिम दिशा के आधे हिस्से का जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी के पक्ष में जारी कर दिया। प्रार्थी की पट्टे सुदा भूमि को हड़प करने की नियत से अप्रार्थी ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया, साथ ही ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रक्रिया की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमानुसार प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने केवल दोनों पट्टों के पड़ौस एकसमान होने के कारण यह आधार लिया है कि दोनों पट्टे एक ही भूखण्ड पर जारी किये गये है जबकि अधिवक्ता प्रार्थी जिस पुराने पट्टे का जिक्र कर रहे है वह एवं प्रश्नगत पट्टे का भूखण्ड भिन्न भिन्न है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे की न तो

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

मिसल भेजी और न ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर भेजा है ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा यह माना जायेगा कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी जैर निगरानी पट्टें को अपना रहवासीय मकान बता रहे है जबकि विक्रय विलेख में उक्त भूमि पर कोई निर्माण होना नहीं बताते हुये केवल भूखण्ड बताया है। प्रश्गनत आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में दावें विचाराधीन है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के केवल अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत माण्डावास द्वारा मिसल संख्या 72/2004–2005, प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 15.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5124 दिनांक 15.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड यथा मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 30.05.2024 के अनुसार जैर निगरानी पट्टे का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा, बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टा सुदा भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी की स्वयं की भूमि पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु उपलब्ध अभिलेखों, दोनों पक्षों के तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण एवं तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा विरदा पुत्र गमना के पक्ष में पट्टा संख्या 18 दिनांक 26.01.1966 जारी किया गया था। उक्त पट्टे में वर्णित भूमि की सीमाएँ इस प्रकार अंकित है कि उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में आबादी पड़त, पूर्व दिशा में नेमाराम पीटल तथा पश्चिम दिशा में शिवाराम देवासी तथा भुजाओं का माप उत्तर व दक्षिण दिशा में 100 फुट तथा पूर्व व पश्चिम दिशा में 150 फुट अंकित है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे में वर्णित भूमि की सीमाएँ उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूर्व दिशा में वरदाराम तथा पश्चिम दिशा में बिंजा पुत्र सवाजी पटेल तथा भुजाओं का माप उत्तर व दक्षिण दिशा में 100 फुट तथा पूर्व व पश्चिम दिशा में 273 फुट अंकित है। दोनों पट्टों के माप का तुलनात्मक परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि उत्तर एवं दक्षिण दिशा का माप पूर्णतः समान है। साथ ही दोनों पट्टों में उत्तर दिशा में आम रास्ते एवं पश्चिम दिशा शिवाराम का पट्टे का उल्लेख है। यह भी विचारणीय है कि पूर्व पट्टे में दक्षिण दिशा में आबादी पड़त अंकित है जबकि जैर निगरानी पट्टे में उक्त दिशा में आम रास्ता अंकित है। यह परिस्थितिजन्य तथ्य इस सम्भावना को प्रबल करता है कि उक्त दिशाओं में भुजाओं के माप में वृद्धि हो जाने से आबादी के आगे स्थित रास्ते की भूमि आ गई हो, जिसके फलस्वरूप वर्तमान अभिलेखों में रास्ता के रूप में परिलक्षित हो रही हो। उपरोक्त समस्त तथ्यों, सीमाओं तथा माप की समानता से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा, प्रार्थी की पट्टासुदा भूमि को शामिल करते हुये पश्चिम दिशा की तरफ जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि किसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और दूसरा पट्टा रद्द

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की, जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।" उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के समेकित विश्लेषण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि प्रश्नगत पट्टा पूर्व से जारी पट्टेसुदा आराजी को शामिल करते हुये बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए, नियमों की अवहेलना करते हुए मनमाने एवं अपारदर्शी तरीके से जारी किया गया, जो विधि की दृष्टि में टिकाउ नहीं है। इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत माण्डावास द्वारा मिसल संख्या 72/2004–2005, प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 15.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5124 दिनांक 15.12.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत माण्डावास को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)